

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Writ Petition No. 27/2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता।
अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेश महर्षि।

:: आदेश ::

11.04.2019

नोटिस जारी हो।

राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक नोटिस
स्वीकार करते हैं।

शेष अयाचीगण का नोटिस आगामी **तीन सप्ताह** में
वापसी योग्य किया जाता है। योग्य अधिवक्ता याची को निवेदन
अनुसार नोटिस तामील हेतु दस्ती दिया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—